झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय-(बजट)सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरुवार,दिनांक : 06 चैत्र, 1937 (श0) को 26 मार्च, 2015 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
ख-71. उत्तर संलग्न	अ0सू0-04	श्री दीपक विरुवा	राशि खर्च करना।	कल्याण	28.02.15
219.	अ0सू0-30	श्री कुलू गहतो	समुचित व्यवस्था कराना।	जल संसाधन।	19.03.15
220. उत्तर संलग्न	अ0सू0-32	श्री राज सिन्हा	स्वीकृत पदों को भरना।	सहकारिता	20.03.15
221. उत्तर संलग्न	अ0सू0-29	श्री प्रकाश राम	पदाधिकारी का पदस्थापन।	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास	19.03.15
222. उत्तर संलग्न	अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	लिफ्ट इरिगेशन चालू कराना।	जल संसाधन	01.03.15
223. उत्तर संलग्न	अ0सू0-22	श्री अरूप चटर्जी	अविलम्ब कार्रवाई करना।	उर्जा	15.03.15
224. उत्तर संलग्न	अ0सू0-31	श्री अनन्त कु0ओझा	रोजगार दिलाना।	पशुपालन एवं मत्स्य	19.03.15
225. उत्तर संलग्न	अ0सू0-09	श्री प्रदीप यादव	दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	01.03.15
226. उत्तर संलग्न	अ0सू0-18	श्री दीपक विरुवा	विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना।	उर्जा	10.03.15
227. उत्तर संलग्न	अ0सू0-28	श्री बादल	नारी निकेतन का संचालन।	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास	19.03.15

क्र0पृ0उ0

228. उत्तर संलग्न	अ0सू0-11	श्री राधाकृष्ण किशोर	बंद इकाइयों को चालू कराना।	ऊर्जा	03.03.15
229.	अ0सू0-26	श्री मनीष जायसवाल	कार्य पूरा कराना।	जल संसाधन	16.03.15
230. उत्तर संलग्न	अ0सू0-15	श्री राधाकृष्ण किशोर	धान क्रय कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	04.03.15
231. उत्तर संलग्न	अ0सू0-27	श्री प्रकाश राम	सबस्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	19.03.15
232. उत्तर संलग्न	अ0सू0-25	श्री कुणाल षड़ंगी	शीत भंडारण गृह का निर्माण।	कृषि एवं अन्न विकास	16.03.15
233. उत्तर संलग्न	अ0सू0-24	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	बांध का जीर्णोधार	जल संसाधन	15.03.15
234. उत्तर संलग्न	अ0सू0-23	श्री शिवशंकर उरॉव	अस्पताल का संचालन।	कल्याण	15.03.15
235. उत्तर संलग्न	अ0सू0-33	श्री आलोक कु0 चौरसिया	फाटक की मरम्मति।	जल संसाधन	20.03.15

नोटः- 'अ'-71,दिनांक-12.03.2015 एवं 19.03.2015 को सदन से स्थगित।

राँची,
दिनांक :-26 मार्च,2015ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-06/15-...1684......./वि0स0,राँची,दिनांक-26 मार्च,2015ई0।

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य-मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-06/15-...1684......./वि0स0,राँची,दिनांक-26 मार्च,2015ई0।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान सभा राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न)के सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

29-71

श्री दीपक बिरुवा, स०वि०स० से अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-04 की संशोधित उत्तर सामग्री

दिनांक-12.03.2016 एवं दिनांक-19.03.2016 को स्थगित

क्र.	अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-04	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदायिक विकास हेतु वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में क्रमशः 69 करोड़ तथा 77 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने संविधान की धारा 275 (1) के तहत् कल्याण विभाग को अनुदान दिया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के तहत् प्रतिवर्ष विभिन्न चयनित योजनाओं के लिए अनुदान राशि स्वीकृति दी जाती है इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में रूपये 91.81 करोड़, 2012-13 में 73.8935 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 92.8040 करोड़ रू एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 98.73 करोड़ की अनुदान की अनुदान राशि स्वीकृत एवं आवंटित की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि 2011-12 में निर्गत राशि का डी०सी० बिल एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने के कारण वर्ष 2014-15 में दी गई केन्द्रीय अनुदान की (राशि) निकासी पर कोषागार पदाधिकारियों ने रोक लगा देने से विकास योजनाए प्रभावित हो रही है ?	अस्वीकारात्मक 2011-12 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 91.81 करोड़ राशि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिलों एवं कार्यान्वयन एजेन्सियों को आवंटित है एवं इसकी निकासी कोषागार से की जा चुकी है। इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भारत सरकार को भेज दी गई है। वर्ष 2011-12 में विभिन्न योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :- कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या- 821 पूर्ण योजनाओं की संख्या- 294 अपूर्ण योजनाओं की संख्या -- 527 वर्ष 2012-13 में योजनाओं के प्रगति की स्थिति निम्न प्रकार है - कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या- 237 पूर्ण योजनाओं की संख्या- 230 अपूर्ण योजनाओं की संख्या 7 वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :- कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या- 594 पूर्ण योजनाओं की संख्या- 120 अपूर्ण योजनाओं की संख्या - 474

25.3.15

		वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से स्वीकृत 98.73 करोड़ में से 74.04 करोड़ रूपये आवंटित की जा चुकी है एवं राशि कोषागार से निकासी की जा चुकी है। शेष राशि की निकासी की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोषागार द्वारा केन्द्रीय अनुदान की राषि पर लगायी गयी रोक पर विधि संमत कार्रवाई करते हुए विकास हेतु राषि खर्च करने का विचार रखती है, हां तो कब तक नही तो क्यो ?	उपरोक्त मे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सभी चालू योजनाओं का गहन पर्यवेक्षण कर योजनाओं को पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञापांक– 855 रांची, दिनांक– 25/3/15

प्रतिलिपि– सचिव, झारखंड विधानसभा को 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.3.15
सचिव, कल्याण विभाग।

राशि खर्च करना ।

'ख' 71. श्री दीपक बिरूवा--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के सामुदायिक विकास हेतु वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में क्रमशः 69 करोड़ तथा 77 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने संविधान की धारा 275 (1) के तहत् कल्याण विभाग को अनुदान दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 2011-12 में निर्गत राशि का डी०सी० बिल एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने के कारण वर्ष 2014-15 में दी गई केन्द्रीय अनुदान की (राशि) निकासी पर कोषागार पदाधिकारियों ने रोक लगा देने से विकास योजनायें प्रभावित हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोषागार द्वारा केन्द्रीय अनुदान की राशि पर लगाई गई रोक पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए विकास हेतु राशि खर्च करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

निम्न प्रकार आवंटन प्राप्त हुआ है :

वर्ष		राशि
2011-12	-	8331.00 लाख रुपये
2012-13	-	6995.60 लाख रुपये
2014-15	-	7404.75 लाख रुपये

(2) अस्वीकारात्मक ।

राशि की निकासी कोषागार से कर ली गई है : योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(3) विकास हेतु राशि खर्च की जा रही है ।

---

(220)

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0रू0 32 का उत्तर सामग्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग का उत्तर:–
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 15 वर्षों के उपरांत भी सहकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के 5 पद रिक्त हैं ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पदों को प्रोन्नति के द्वारा अनुभवी अंकेक्षण पदाधिकारी से भरा जाना है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब वर्णित रिक्त पदों को खण्ड–2 के आधार पर भरने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	इनकी प्रोन्नति नियमावली का संशोधन विभागीय अधिसूचना संख्या 3591 दिनांक 24.10.2014 के द्वारा की गयी है। तत्पश्चात् प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

ह0/–
(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– 1/रा0प्र0सं0 (वि0स0प्र0)–03/2015 706 /राँची, दिनांक 24/03/2015

प्रतिलिपि: सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या 1537 दिनांक 26.02.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रकाश राम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–26.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 29 का उत्तर।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है लातेहार जिला अन्तर्गत बालूमाथ बारियातू एवं हेरहंज प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद रिक्त है;	अस्वीकारात्मक बारियातू एवं हेरहंज में बाल विकास परियोजना अस्तित्व में नहीं है। केवल बालूमाथ में बाल विकास परियोजना कार्यालय है।
2.	क्या यह बात सही है कि बालूमाथ, बारियातू एवं हेरहंज प्रखण्ड में कुल 218 आंगनबाड़ी केन्द्र है;	बालूमाथ के लिए स्वीकारात्मक। बालूमाथ बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 192 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 26 लघु आंगनबाड़ी केन्द्र अर्थात कुल 218 केन्द्र संचालित हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने से आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में काफी कठिनाई होती है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 1198 दिनांक 27.06.2014 द्वारा श्रीमती रीना सहू, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनुआ (पश्चिमी सिंहभूम) को बालूमाथ में पदस्थापित किया गया है। परन्तु पूर्व के स्थान से विरमित नहीं होने के कारण अभूतपूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बारियातू, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बालूमाथ के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं।
4	यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त तीनों प्रखण्डों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति करने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हाँ। पूरे राज्य में सभी रिक्तियों को भरने हेतु नियुक्ति नियमावली गठन की प्रक्रिया विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – रा० क० / वि०स० अल्प सूचित -113/2015 – 583 राँची, दिनांक 25 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1462/वि०स० दिनांक–9.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3

(ए0 के0 रतन)

सरकार के उप सचिव।

(222)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० का अल्प-सूचित प्रश्न अ० सं०-8 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन बिहार सरकार ने झारखंड क्षेत्र में 394 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऊँची जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ की थी, इसमें से मात्र 60 योजनायें ही तत्काल चालू हैं;	झारखंड राज्य के गठन से पूर्व लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 1200 लघुवह सिंचाई योजनाएं का निर्माण हुआ था। जिसमें से मात्र 54 योजनाएं चालू अवस्था में है।
2	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अविलंब शेष बंद पड़ी लिफ्ट इरिगेशन को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बंद पड़ी इन सभी योजनाओं का सर्वेक्षणोपरांत सम्भाव्यता के आलोक में पुनर्स्थापन / पुनरनिर्माण कार्य क्रमबद्ध रूप से आगामी वर्षों में कराने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0–10–अ0सू0–01/2016 1479 राँची, दिनांक– 25-3-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 397 दिनांक–01.03.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–11, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव(अभि०) 25/03/2015
जल संसाधन विभाग, राँची

(223)

श्री अरूण चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-26.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-22 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूण चटर्जी, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि डी.भी.सी. का झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड पर ढाई हजार रूपयों का बकाया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कारण से डी.वी.सी. अपने कमान्ड एरिया में प्रतिदिन छः घंटा का बिजली कटौती करता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। हजारीबाग अंचल में तीन स्थानों से विद्युत आपूर्ति ली जाती है, जिसमें बरही प्वाइंट पर करीब चार घंटे प्रतिदिन, बनासी प्वाइंट पर करीब चार घंटे तथा हजारीबाग प्वाइंट पर शून्य घंटे प्रतिदिन बिजली कटौती की जा रही है। रामगढ़ अंचल में तीन प्वाइंट पर डी०भी०सी० से बिजली ली जाती है। यहाँ पर औसतन प्रतिदिन दो घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। धनबाद अंचल में करीब डेढ़ से दो घंटे प्रतिदिन बिजली की कटौती डी०भी०सी० द्वारा की जा रही है। चास अंचल के अन्तर्गत क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन दो से ढ़ाई घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। कोडरमा एवं गिरिडीह अंचल में करीब डेढ़ घंटे प्रतिदिन बिजली की कटौती डी०भी०सी० द्वारा की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) के बकाया राशि को राज्य सरकार यदि चुका दे तो खण्ड (2) के क्षेत्रों में अबाध विद्युत आपूर्ति होगी ;	निगम ने डी०भी०सी० को फरवरी माह में करीब 560 करोड़ रूपये तथा मार्च महीने में 200 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। भुगतान के पश्चात डी०भी०सी० द्वारा बिजली की कटौती कम कर दी गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषयों पर अविलम्ब कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निगम डी०भी०सी० को current bill के मद में करीब 180 करोड़ रूपये तथा बकाये के मद में करीब 100 करोड़ रूपये हर महीने भुगतान कर रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 70 / दिनांक 13/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.03.15

सरकार के उप सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक – 26.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं० – अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड अन्तर्गत महादेवगंज स्थित दुग्ध शीतक केन्द्र बंद पड़ा हुआ है, जिसकी चालू करने की मांग वर्षों से की जा रही है ?	स्पष्टीकरण है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त दुग्ध शीतक केन्द्र के नहीं खुलने से स्थानीय युवक बेरोजगार हो रहे हैं एवं उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है ?	ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि 1. वर्तमान में साहेबगंज जिला के ग्रामीण दुग्ध उत्पादक स्थानीय बाजार में दूध की बिक्री कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार तथा पर्याप्त स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा विकास हेतु साहेबगंज जिला में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:– • **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत (अनुदान एवं बैंक ऋण के आधार पर) दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम :–** a) दो दुधारू मवेशी वितरण की योजना। (50% अनुदान) b) मिनी डेयरी योजना (05 दुधारू मवेशी) (50% अनुदान) c) मिडी डेयरी योजना (10 दुधारू मवेशी) (40% अनुदान) d) कॉमर्शियल डेयरी की योजना (20 दुधारू मवेशी) (25% अनुदान) e) मॉडर्न डेयरी की योजना (50 दुधारू मवेशी)। (20% अनुदान) • **नस्ल सुधार कार्यक्रम :–** इस कार्यक्रम के तहत देशी एवं संकर नस्ल के दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। • **केन्द्र प्रायोजित नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अन्तर्गत पशु आहार एवं चारा विकास की योजना:–** i. चारा पुष्पवर्ग के हरा चारा उत्पादन हेतु शतप्रतिशत अनुदान पर डिमोन्स्ट्रेशन फिरमें के बीज एवं स्थानीय नीलाम के लिए चारा बीज का निःशुल्क वितरण दुधारू मवेशीपालकों के बीच किया जाता है। ii. 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत आमुक अंशदान के आधार पर उन्नत पुष्पवर्ग के हरतचालित चारा काटने की मशीन वितरण किया जाता है। iii. 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत आमुक संसाधन के आधार पर उन्नत गुणवत्ता के विद्युतचालित चारा काटने की मशीन वितरण किया जाता है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े दुग्ध शीतक केन्द्र को खुलवाकर स्थानीय बेरोजगार को रोजगार दिलाने पर विचार करती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्पष्टीकरण है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, विपणन एवं वितरण संबंधी समस्त गतिविधियों का कार्यान्वयन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रबंधन में संचालित झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि० (मिल्कफेड) के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा राज्य के राँची, लोहरदगा, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, चाईबासा, बोकारो, देवघर तथा दुमका जिलों में दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। अन्य विशेष रूप से साहेबगंज जिला में दुग्ध शीतक केन्द्र/दुग्धशाला की स्थापना कर दुग्ध संग्रहण, विपणन एवं वितरण की संस्थागत व्यवस्था का संचालन सरकार दूध की संभाव्यता के आधार पर किए जाने का लक्ष्य है।

(आलोक कुमार)
सरकार के अवर सचिव

24/3/2015
निदेशक
पशु विकास निदेशालय
झारखण्ड, राँची

225

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तर।

प्रश्नकर्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए सीधे धान क्रय करने की योजना रही है;	जी हाँ स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष 2014-15 में एक छटाक भी धान क्रय नहीं किया गया है;	जी आंशिक स्वीकारात्मक। खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में किसानों से धान क्रय करने हेतु विभाग से आदेश संख्या 170, दिनांक 15.01.2015 द्वारा सभी जिलों को निदेशित किया गया है। अभी तक 274 क्रय केन्द्र खोले गये हैं। अधिप्राप्ति हेतु दिनांक 31.03.2015 तक अवधि निर्धारित की गई है
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब किसानों के हुए इस घाटे की प्रतिपूर्ति का कोई वैकल्पिक व्यवस्था एवं दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है जिनके कारण यह काम प्रारम्भ नहीं हो पाया यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	किसानों को हुए घाटे के प्रतिपूर्ति करने हेतु विभाग में कोई प्रावधान नहीं है। अधिप्राप्ति योजना में दोषी मिलों एवं लैम्पस/पैक्स पर कार्रवाई हेतु सभी उपायुक्त को उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं सील करने हेतु निदेशित किया गया है।

ज्ञापांक :– सं०अ० 09–3 विधान सभा 07/2015 885 /राँची, दिनांक 17.03.15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 395 दि०स०, दिनांक 01.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/15

राजकुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

(226)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1 क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत टोन्टो प्रखण्ड में आजादी के 68 वर्षों के बाद भी 30 राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है। टोन्टो प्रखण्ड में कुल राजस्व ग्रामो की संख्या 82 है, जिसमें से 47 ग्राम विद्युतीकृत है, 10 अदद् गाँवों का विद्युतीकरण आर०डी०जी०वी०वाई० एवं 11 अदद् ग्राम का विद्युतीकरण स्टेट प्लान के अंतर्गत करने का लक्ष्य है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड कार्यालय, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक-57/वि०का०अभि०/चाई/ दिनांक-28.01.2014 द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, चाईबासा को पत्र प्रेषित कर टोन्टो प्रखण्ड के ग्राम-सुअम्बा, टेन्सरा, रेरड़ाहातु, लुईया एवं पालीसाई में बिजली आपूर्ति हेतु अनुशंसायें की गयी है;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र में 147 सूचीबद्ध राजस्व ग्रामों में बिना स्पष्ट कारणों को दर्शाये विद्युतीकरण का कार्य रोकने हेतु अनुशंसायें की गयी है;	अस्वीकारात्मक है। 14 ग्राम क्रमशः सरजोंमबुरू, आकाहाता, पुकरीबुरू, हुसीपी, तेम्बाहाका, तुईबेरा, राजाबासा, गौंबुरू, कुईलसुता, मुसरीबुरू, उदलकम, झीरझर, रूटागुटू, आगाबेन का विद्युतीकरण नहीं होने का मुख्य कारण घना वनक्षेत्र एवं आवागमन का साधन का उपलब्ध नहीं होता है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सूचीबद्ध ग्रामों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	14 सूचीबद्ध राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण नहीं करने का कारण घना वन क्षेत्र होना है, फिर भी वर्तमान परिस्थिति में स्थल का निरीक्षण कर डी०डी०जी० योजना के अन्तर्गत जेडा द्वारा विद्युतीकरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 699 / दिनांक 23/3/15

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.03.15
सरकार के उप सचिव

227

श्री बादल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–26.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 28 का उत्तर।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में राँची के कांके रोड में महिलाओं के पुनर्वास हेतु नारी निकेतन के भवन का निर्माण 45 लाख रुपये की लागत से कराया गया है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि भवन बनाये जाने के 18 महीने बीतने के बाद भी नारी निकेतन का संचालन प्रारंभ नहीं किया जा सका,	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नारी निकेतन का संचालन प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नारी निकेतन के संचालन का दायित्व झारखण्ड महिला विकास समिति को दिया गया है। मई 2015 तक नारी निकेतन के संचालन की योजना है।

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक सं० क० /वि०सं० अल्प–सूचित प्रश्न – 112/2015 – 530 राँची, दिनांक : 25 मार्च, 2015

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1461 दिनांक–19.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3

(ए० के० रतन)

सरकार के उप सचिव

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-26.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पतरातू थर्मल प्लान्ट के 05 ईकाइयों से हासिल क्षमता 770 मेगावाट प्रतिदिन बिजली उत्पादन के विरूद्ध मात्र 260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है;	पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के 10 इकाईयों की हास्रित क्षमता (Derated) 770 मेगावाट है। संप्रति इकाई संख्या 8 एवं 10 से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि शेष 05 ईकाईयाँ मरम्मति के अभाव में बंद पड़ी हुई है, जिनके वृहद मरम्मति पर 650 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता है;	यह बात सही है कि बंद पड़ी 05(पाँच) इकाईयों (इकाई संख्या 1,2,3,5 एवं 8) के मरम्मति के लिए लगभग 650 करोड़ रूपये की आवश्यकता है, लेकिन वृहद मरम्मति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इन इकाईयों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के दिशा निदेश के अनुरूप फेज आउट (phase out) करने का प्रस्ताव है। इकाई संख्या 7 एवं 9 के मरम्मति का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है ईकाई संख्या-4 वर्तमान में तकनीकी प्रशिक्षित परिचलन कर्मियों के कमी के कारण कार्यरत नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतलाएगी की बंद ईकाइयों को चालू करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तत्काल पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत चलाने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 776 / दिनांक 25/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.03.15
सरकार के उप सचिव

229

श्री मनीष जायसवाल, रा०वि०स० द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत कटकमदाग प्रखण्ड में एकमात्र सिंचाई योजना हेतु गोन्दा जलाशय है जिसके द्वारा सलगांव, कदमा, कस्तुरीखाक के साथ–साथ कई अन्य गाँवों में खेती हेतु सिंचाई की जाती है ;	हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखण्ड में सिंचाई योजनाएं यथा, गोन्दा जलाशय योजना एवं कुटौमीसी वीयर योजना कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में खण्ड–1 में वर्णित जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य हेतु निविदा प्रकाशित कर उक्त कार्य संवेदक को आवंटित की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित कार्य संवेदक द्वारा आधा–अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई कार्य से बाधित है ;	स्वीकारात्मक। रू० 65.885 लाख के एकरारनामा के विरूद्ध वर्ष 2011-12 तक कुल रू० 59.395 लाख का कार्य किया गया है। वर्ष 2014–15 में 750 एकड़ सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 578 एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। कार्य पूर्ण नहीं होने के लिए सम्बन्धित दोषी पदाधिकारियों तथा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–2 में वर्णित अधूरे कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2015-16 में नये सिरे से नहर के पुनर्स्थापन का कार्य कराने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बजट में राशि की उपलब्धता के आलोक में इसकी स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०रा०वि०–10 अ०सू० 05/15 1511 /राँची, दिनांक 26.03.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1320 दिनांक 16.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनेटरिंग एवं समन्वयन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.03.2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

230

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–15 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राधाकृष्ण किशोर,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013–14 और 2014–15 में राज्य के किसानों से धान का क्रय नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में 465 मे० टन धान क्रय किया गया था। अधिप्राप्ति योजना में 680 लैम्पस/पैक्स कार्यरत थे। वर्तमान वर्ष में धान क्रय करने हेतु दिनांक 15.01.2015 को आदेश निर्गत किया गया है एवं अभी तक 274 क्रय केन्द्र खोले गये हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी स्तर पर किसानों से धान का क्रय नहीं किये जाने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि विगत दो वर्षों से धान क्रय नहीं करने के क्या कारण हैं तथा वर्ष 2015–16 में किसानों से धान क्रय करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	विगत वर्षों में किसानों से धान अधिप्राप्ति करने हेतु विभाग को आदेश निर्गत किया गया है। विगत वर्ष में राईस मिलों एवं लैम्पस/पैक्स के पास बकाया राशि लंबित रहने के कारण किसानों से धान क्रय नहीं हो पाया एवं खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में भी सरकार किसानों से धान क्रय करने हेतु विचार रखती है।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06–9 (विधान सभा) 21/2015 929 /राँची, दिनांक 20.03.15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 731, वि०स०, दिनांक 04.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/15

(राजकुमार चौधरी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

(231)

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-26.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बारीयातु एवं हेरहंज प्रखण्ड में बिजली सब-स्टेशन का निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोगों को बिजली आपूर्ति में काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों प्रखण्डों के सृजन हुए 07 वर्ष बीत चुका है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बारीयातु एवं हेरहंज प्रखण्ड में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दोनों प्रखण्डों में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण केन्द्र प्रायोजित दीन दयाल उपध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव दिया गया है। योजना स्वीकृति के उपरान्त विद्युत उपकेन्द्र निर्माण का कार्य किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 713 / दिनांक 23/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.03.15

सरकार के उप सचिव

श्री–सुनील बड़ाईक, माननीय (232) अ0वि0स0 द्वारा दिनांक-26.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-25 का उत्तर प्रतिवेदन:-

उत्तरदाता :- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह सही बात है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं पटमदा प्रखण्ड में सबसे अधिक साग-सब्जी की खेती होती है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि वहाँ पर शीतभंडारण गृह (GOLD STORAGE) नहीं होने के कारण हर वर्ष बहुत सारी साग-सब्जी बरबाद हो जाती है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में प्राथमिकता के आधार पर शीतभंडारण गृह (GOLD STORAGE) निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह योजना एम0आई0डी0एच0 योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, राँची के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में 60 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों/ उद्यमियों/ कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है, तथा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन सं0-पी0आर0सं0-120371 (कृषि) 2014-15 के क्रम में उक्त क्षेत्र से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। समय-समय पर इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0प्र0-27/2015- 997 राँची/दिनांक- 25-03-15

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची उनके ज्ञाप सं0-1321/ वि0स0, दिनांक-16.03.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.3.15
(राम प्रसाद साय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0प्र0-27/2015- 997 राँची/दिनांक- 25-03-15

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव,कोषाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.3.15
सरकार के संयुक्त सचिव

233

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-26-03-15 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पीरटांड प्रखंड एक अति पिछड़ा आदिवासी बहुल्य के साथ-साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जहाँ बाढ़ू बाँध एवं रान सागर बाँध अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खंड-(I) में वर्णित बाँध का जीर्णोद्धार होने से उक्त प्रखंड के बदनाँव, तईयो, गोकोगिया, खरपोका, कुडकु, मण्डलो एवं इरलाडी पंचायत आदि के ग्रामीण जनता को सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे तथा उपज में वृद्धि होगी, जिससे उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खंड (I) में वर्णित बाँध को वित्तीय वर्ष 2015-16 में जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर आगामी वर्षों में इन कार्यों को करने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 8/ज०स०वि०-103अ०सू०-04/16 1478 राँची, दिनांक- 24-3-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-1254 दिनांक-16.03.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

3. अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/2015

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची

R34

श्री शिव शंकर उराँव, स०वि०स० द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक- 26.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या स०-अ०सू०-23 का उत्तर सामग्री :-

क्र० सं०	अल्पसूचित प्रश्न	विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में मेसो परियोजना (कल्याण विभाग) के द्वारा जिलों में अस्पतालों का निर्माण 2 वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका है?	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि 14 मेसो अस्पताल का निर्माण कार्य 2006-07 में आरम्भ किया गया था, जिसमें से 9 ग्रामीण मेसो अस्पतालों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् Expression of Interest के माध्यम से चयनित एजेंसी के द्वारा 04.02.2009 से संचालन प्रारम्भ किया गया है जो निम्न प्रकार है :- 1. दुमका, कालीकुण्ड, दुमका 2. खूँटी, मरवी, खूँटी 3. पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ 4. राँची, ओरमाँझी, राँची (सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल, अल्बर्ट गोल, राँची।) 5. सोहरदगा, बसालोहा, सोहरदगा 6. चतरा, चतरा, चतरा (ई०सी०-ई०आर०टी०, राँची।) 7. साहेबगंज, पतना (बेहुआ), साहेबगंज 8. लातेहार, लातेहार, लातेहार (कार्डिनल तरंग, राँची।) 9. पूर्वी सिंहभूम, बनमाकेरी, बहरागोड़ा, जमशेदपुर (विकास गोस्वामी, विष्णुपुर, गुमला।) शेष 6 अस्पतालों का भवन निर्माण गत वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने के पश्चात् में अस्पतालों का संचालन हेतु सुयोग्य एजेंसी के चयन के लिए TCDC, राँची द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 से अस्पतालों का संचालन किया जाएगा। जो निम्नवत: है :- 1. प० सिंहभूम, कल्याणिका, परिचय सिंहभूम, चाईबासा। 2. लातेहार, नागपुटांग, लातेहार। 3. सिमडेगा, नानो, सिमडेगा। 4. प० सिंहभूम, लोबोडीह, चक्रधरपुर। 5. गुमला, नागफेनी, गुमला।
2	क्या यह बात सही है कि ऐसे अस्पतालों के उपस्कर संचालन के अभाव में चोरी तथा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं ?	अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि अस्पताल का संचालन के लिए एजेंसी का चयन नहीं किया गया है। फलत: अस्पताल में उपस्कर की आपूर्ति नहीं की गई।
3	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के सिसई प्रखण्ड अन्तर्गत मेसो परियोजना द्वारा अस्पताल का निर्माण करवाया गया है ?	अस्पताल का निर्माण कल्याण विभाग द्वारा सिसई प्रखण्ड के नागफेनी नामक स्थल में निर्माण हुआ है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्ण हो चुके अस्पताल का संचालन प्रारम्भ कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2015-16 में अस्पताल का संचालन किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०-04/वि०स०-08/2015 844 राँची, दिनांक 25/3/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या- 1256, दिनांक-15.02.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/3/15

(संत कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।

E:\Tanveer Alam\Question\Sanga.sir.doc

(235)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के सतबरवा प्रखंड स्थित मध्य डैम का मुख्य फाटक क्षतिग्रस्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मुख्य फाटक क्षतिग्रस्त नहीं है। मात्र इसका रबर सील क्षतिग्रस्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि डैम के मुख्य फाटक खराब होने के कारण लगातार पानी का रिसाव हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जल को संरक्षित कर सुखाड़ प्रभावित पलामू जिले में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है ;	इस योजना की कुल रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 7750 हे० है, जिससे वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में क्रमशः 2400 हे०, 936 हे०, 1205 हे० सिंचाई दी गई है। वर्षापात कम होने के कारण सिंचाई उपलब्धि कम है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य डैम के मुख्य फाटक को मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस डैम से लीकेज मुख्य फाटक का रबर सील क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। रबर सील की मरम्मति का कार्य वर्ष 2015–16 के वित्तीय अवधि के पूर्व करा लिया जायेगा

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/जं०स०वि० 10 अ०सू०–07/15 – 1509 /राँची, दिनांक 25.3.15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1536 दिनांक 20.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (पाँच सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजना, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.03.2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।